

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-38/2017/340/पांच-9-2017-9(6)/17
लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2017
संशोधन-पत्र

प्रदेश के उच्च सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों एवं गर्भनिरोधक सामग्री की जनसमुदाय को सुलभ उपलब्धता के सन्दर्भ में भारत सरकार की अभिनव योजना "मिशन परिवार विकास" विषयक शासनादेश संख्या-30/2017/92/पांच-9-2017-9(6)/17, दिनांक 24-04-2017 के संलग्नक-1 दिशा-निर्देश में त्रुटियाँ हो गयी हैं। उक्त शासनादेश के संलग्नक-1 दिशा-निर्देश के अन्तर्गत गतिविधि अनुसार कार्य रणनीति (1) के खण्ड (ग) में वित्तीय पैकेज में "वित्तीय पैकेज शासनादेश संख्या-645/पांच-9-2015-9(222)/14 दिनांक 14.05.2015 के अनुसार निम्नवत् है" के स्थान पर "मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत आच्छादित 57 जनपदों में नसबन्दी गतिविधियों हेतु वित्तीय पैकेज शासनादेश संख्या-645/पांच-9-2015-9(222)/14, दिनांक 14 मई 2015 के अनुसार निम्नवत् है :-" संशोधित समझा जाय।

2- इसी प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 24.04.2017 के संलग्नक-1 दिशा-निर्देश के अन्तर्गत रणनीति कार्य 2: प्रोत्साहन योजना के खण्ड (स) सारथी-जागरूकता वाहन के अन्तर्गत वित्तीय पैकेज तालिका में बस/वैन का किराया गतिविधि के अन्तर्गत तालिका के कॉलम संख्या-3 पर निर्धारित किराया ₹0 500/- के स्थान पर ₹0 5000/- पढ़ा जाये।

3- अतएव उक्त शासनादेश संख्या-30/2017/92/पांच-9-2017-9(6)/17, दिनांक 24-04-2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 24-04-2017 की शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्रशान्त त्रिवेदी

प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2017/2017/340(1)/पांच-9-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।
3. महानिदेशक परिवार कल्याण 30प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, 30प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, (जनपद-अमेठी, भदोही, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर व कानपुर देहात, कासगंज, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, हापुड, प्रतापगढ़., सम्भल, शामली व वाराणसी) को छोडकर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जनपद-अमेठी, भदोही, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर व कानपुर देहात, कासगंज, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, हापुड, प्रतापगढ़., सम्भल, शामली व वाराणसी) को छोडकर।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जनपदीय पुरुष/महिला चिकित्सालय, (जनपद-अमेठी, भदोही, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर व कानपुर देहात, कासगंज, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, हापुड, प्रतापगढ़., सम्भल, शामली व वाराणसी) को छोडकर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशिकान्त शुक्ल)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।